बी.ए. तृतीय वर्ष
सत्र 2020-21
राजनीति विज्ञान
प्रश्नपत्र - द्वितीय
भारतीय राजनीतिक चिंतन

इकाई - प्रथम
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, मनु, भीष्म, कौटिल्य

इकाई - द्वितीय
भारतीय पुनर्जागरण - राजा राम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द

इकाई - तृतीय
गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी

इकाई - चतुर्थ
डॉ. भीमराव अम्बेदकर, जवाहर लाल नेहरू, एम. एन. रॉय, आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण

Scanned with CamScanner

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं

प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की अपनी विशेषताएं हैं जो उसे पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन से भिन्न बनाती हैं। ये विशेषताएं उस समय के भारत की सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक दशा, राजनीतिक उथल पुथल एवं बौद्धिक विकास के स्तर से प्रभावित होती हैं। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं निम्न लिखित हैं—

⊙ राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग — प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के अंग के रूप में हुआ। राजनीतिक चिंतकों ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक नहीं किया। राजा और शासन का मुख्य कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा गया। राजनीति में नैतिकता का समावेश रहा। धर्म की रक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व था

⊙ राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था — प्राचीन भारतीय चिंतकों ने इसका समर्थन किया कि राज्य का अस्तित्व सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है। मानव जीवन के तीन लक्ष्यों - धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति राज्य के बिना संभव नहीं है।

⊙ राज्य के उद्देश्यों के बारे में आम सहमति — प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के विचारों में राज्य के उद्देश्य के बारे में सहमति पायी जाती है। सभी यह मानते हैं कि राज्य का प्रथम कर्तव्य धर्म का पालन करना है। धर्म में व्यक्ति का अपना धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सभी सम्मिलित हैं। राजा का कर्तव्य न्याय का प्रशासन करना है। वह अपनी प्रजा के प्रति पिता तुल्य व्यवहार करे। वह व्यक्तियों को तथा स्वयं को अपने-अपने धर्म से विचलित न होने दे।

⊙ राजा को सर्वोपरि स्थान — प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा के पद को उच्च स्थान दिया गया है। सभी चिंतकों ने राजपद को दैवीय माना है और राजा में दैवीय गुणों का समावेश किया है। राजा और राज्य के मध्य कोई अंतर नहीं किया है। यद्यपि राजा को उच्च स्थान दिया गया है तथापि उसे निरंकुशता की स्थिति प्रदान नहीं की गयी है। राजा पर मुख्य रूप से धर्म का प्रतिबंध है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य है।

⊙ राजदर्शन व्यावहारिक — प्राचीन भारतीय राजदर्शन में आदर्श राज्य संबंधी काल्पनिक रचनाओं का सर्वथा अभाव है। प्राचीन भारत की रचनाओं का दृष्टिकोण व्यवहारिक था। राजनीतिक चिंतन वास्तविकता से संबद्ध था। राज्य की स्थूल समस्याओं से संबंध था।

⊙ दंडनीति का महत्व — प्राचीन भारतीय चिंतक मानव जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते हैं और इस कारण से उनके द्वारा दंड की शक्ति को

Scanned with CamScanner

अधिक महत्व दिया गया है। मनु के अनुसार दंड ही शासक है। कौटिल्य दंडनीति को महत्व प्रदान करते हुए अन्य सभी विद्याओं को उसी के अधीनस्थ मानते हैं।

(i) संस्थाओं पर विशेष ध्यान — प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विद्वानों द्वारा अपने अध्ययन का केन्द्र बिंदु राजनीतिक संस्थाओं को बनाया है। इन संस्थाओं का महत्व, संगठन तथा कार्य आदि का व्यापक वर्णन किया गया है।

(i) आध्यात्मिकता की ओर झुकाव — प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर रहा है। वेदकालीन एवं उसके बाद के साहित्य से उल्लेख मिलता है कि असुरों का नाश करने के लिए राजा की स्थापना की गयी। राज्य का स्वरूप, राजा के कार्य, व्यक्ति एवं राजा का संबंध, राजा की शक्तियाँ, राज्य का संगठन आदि के प्रश्नों पर विचार करते समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता रही।

मनु

परम्परागत भारतीय मान्यताओं के अनुसार मनु प्रथम समाज व्यवस्थापक तथा आदि पुरुष हैं। सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मनु का नाम वर्णित है। मनु द्वारा प्रतिपादित नियमों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है जिसमें मानव के सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गयी है मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बी.सी. सरकार 150 ईसा पूर्व, मैक्स मूलर चौथी शताब्दी के बाद, जार्ज बुलर ईसा की दूसरी शताब्दी, डॉ. हंटर ईसा से 600 वर्ष पूर्व, कॉडवेल एवं एलफिस्टन ईसा से 900 वर्ष पूर्व तथा मनुमदार तथा पुसालकर मनुस्मृति का रचनाकाल ईसा पूर्व 3110 वर्ष मानते हैं। मनुस्मृति में आरंभ में एक लाख श्लोक थे जो कम होकर बारह हजार रह गये। वर्तमान के संस्करणों में 2694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं।

मनु का राजदर्शन

राज्य — मनुस्मृति के सातवें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य या राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विवेचन किया गया है। इसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में न कोई राज्य था और न राजा, चारों ओर अराजकता और भय का वातावरण था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। मनु के अनुसार ईश्वर ने

Scanned with CamScanner

सूर्य, यम, इन्द्र, वरुण, पवन, अग्नि, चन्द्र, कुबेर आठ देवताओं के अंश को लेकर राजा की रचना की। इन आठ देवताओं के श्रेष्ठ तत्वों से समन्वित होने के कारण राजा विश्व का (इस लोक का) रक्षक, पोषक एवं समृद्धिकारक है। राजा आठ प्रमुख देवताओं के तत्वों को धारण करने वाला एक विशिष्ट देवता है। राजा का शासन मानवीय समझौते पर आधारित न होकर ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है। राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है।

क्या राजा निरंकुश है? — मनु ने राजा को [illegible] निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की है। राजा को धर्म के अधीन रखा है, इस बात पर बल दिया है कि राजा सदा प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म राजा तथा मनुष्यों पर एक समान शासन करता है।

⊙ राज्य की प्रकृति (सप्तांग) —

मनु ने राज्य को सप्तांग माना है अर्थात् राज्य सावयव है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है - स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये सात राज प्रकृतियाँ हैं इनसे युक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। मनु शासन के एक रूप राजतंत्र को स्वीकार करते हैं।

⊙ राज्य के कार्य — मनु के अनुसार राज्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं- आंतरिक शांति स्थापित करना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, नागरिकों के विवादों का निर्णय करना, सभी वर्णों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, निर्धन, असहाय की सहायता करना आदि

शासन

मनु के अनुसार शासन का मुख्य ध्येय धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में सहायक होना है। राजा को मंत्रियों के परामर्श से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। राजा (शासन) को अप्राप्य को प्राप्त करना, प्राप्य को संरक्षित करना, संरक्षित में वृद्धि करना और वृद्धि को सुपात्रों में वितरित करना चाहिए।

⊙ मंत्रिपरिषद — मनुस्मृति में मंत्रिपरिषद के स्थान पर सचिववान शब्द प्रयुक्त हुआ है। मनु के अनुसार कोई व्यक्ति सरल कार्य भी अकेले नहीं कर सकता अतः राज्य का कार्य अकेले राजा द्वारा नहीं चलाया जा सकता। राजा को शासकीय कार्यों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा द्वारा वंशक्रमागत, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, अस्त्र चलाने में निपुण तथा उत्तम वंश में उत्पन्न व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना चाहिए। मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार विभागों का वितरण करना चाहिए। राजा को मंत्रियों से अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से गुप्त स्थान पर मंत्रणा करके राज्य के कार्यों का संचालन करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

• प्रादेशिक शासन — भूमि के आधार पर मनु ने राज्य को दो भागों में - पुर तथा राष्ट्र में विभाजित किया है। पुर से अभिप्राय राजधानी का है। राजधानी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष, घास, जल, अन्न आदि की उपज की सुविधा हो, आर्यजन निवास करते हों, जो सभी तरह से संपन्न और स्वावलम्बी हो।
राष्ट्र से शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए उसे छोटे, बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। शासन का रूप ऐसा होगा।

1 ग्राम → अधिकारी (ग्रामिक)
10 ग्राम → अधिकारी (दशग्राम पति)
20 ग्राम → अधिकारी (विंशति)
100 ग्राम → अधिकारी (शताध्यक्ष)
1000 ग्राम → अधिकारी (सहस्र पति)

प्रत्येक स्तर पर अलग-2 अधिकारी नियुक्त होंगे।

• परिषद या विधायिका — मनुस्मृति में परिषद शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ ऐसे विद्वान व्यक्तियों से है जो तीनों वेदों के ज्ञाता हों। मनु के अनुसार सदस्यों की संख्या दस होनी चाहिए लेकिन रचना का आधार बौद्धिक योग्यता न कि संख्या हो। तीन व्यक्ति एक-एक वेद के ज्ञाता, एक निर्वक्ता, एक मीमांसा का, एक निरुक्त और एक धर्मशास्त्र का कहने वाला तथा तीन व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के। यदि ऐसे 10 व्यक्ति न मिले तो तीन व्यक्ति ही पर्याप्त हैं।

।विधि और न्याय व्यवस्था

• दंड व्यवस्था - मनु के अनुसार दंड ही राजा है क्योंकि दंड में ही राज करने की शक्ति है। राजा को चाहिए कि राज्य में न्यायोचित दंड की व्यवस्था करे। दंड चार प्रकार के होते हैं - धिग्दंड, वाग्दंड, धनदंड, वध दंड

• विधि का स्रोत - मनु के अनुसार कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद हैं।

• न्याय व्यवस्था - मनु के अनुसार विवाद दो प्रकार के होते हैं- हिंसा से उत्पन्न विवाद तथा भूमि या धन संबंधी विवाद। मनुस्मृति में वर्णन है कि यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय न करे तो उसे किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए राजा द्वारा नियुक्त ब्राह्मण तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विवादों का निर्णय करे। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हों जो बाहरी चिन्हों - स्वर, वर्ण संकेत और चेष्टाओं से व्यक्ति के आंतरिक भावों को जान सके। मनुस्मृति में प्रमाण (साक्ष्य) को दो भागों में विभक्त किया गया है—

Scanned with CamScanner

मानुष प्रमाण तथा दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं— लिखित, युक्ति और साक्षी। न्यायाधीशों को लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व देना चाहिए।

अर्थ व्यवस्था

मनु ने कोष को राज्य के सात अंगों में से एक माना है। मनु का कथन है कि राजा को धीरे-2 अल्प मात्रा में कोष संचय करना चाहिए। राजा को कर लेने या कोष संचय का अधिकार तभी है जब वह उचित तरीके से प्रजा के रक्षण तथा पालन का कार्य कर रहा हो। मनु ने चार प्रकार के करों का उल्लेख किया है (1) बलि - प्रजा द्वारा वर्ष की अवधि में अन्न या सामग्री के रूप में भेजा गया (आय का छठा भाग)

(2) शुल्क - बाजार या हाट में व्यापारियों द्वारा बिक्री के लिए लायी गयी वस्तुओं पर कर (लाभ का बीसवां भाग)

(3) दंड - जुर्माने का दंड (व्यक्ति के दोष और उसकी सामर्थ्य के अनुसार अर्थ दंड) (4) भाग - प्रजा के स्वर्ण के लाभ का पाँचवां भाग कर के रूप में।

राजा को यह अधिकार नहीं कि किसी निर्धारित मात्रा से अधिक कर लगा सके।

पर राष्ट्र संबंध

(1) मंडल सिद्धांत— मंडल सिद्धांत का अभिप्राय है राज्य का प्रभाव क्षेत्र। मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा अपने राज्य के क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मंडल सिद्धांत का केन्द्र बिंदु विजीगिषु (विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा) होता है।

12 राज्यों का मंडल

आक्रंदासार
पार्ष्णिग्राहसार
आक्रंद
पार्ष्णिग्राह
विजीगिषु] मध्यम
अरि
मित्र
अरिमित्र
मित्रमित्र] उदासीन
अरिमित्र मित्र

(2) षड्गुण्य नीति - राजा को छः लक्षणों वाली षड्गुण्य नीति के आधार पर कार्य करना चाहिए। ये छः लक्षण हैं— संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय। राजा को समय परिस्थिति के अनुसार इन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए।